क्रम-संख्या--74 (क--1)

रजिस्ट्रेशन नम्बर--एस०एस०पी० / एल०-
डब्लू० / एन०पी०--91 / 2008--10
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग--1, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 05 मार्च, 2010
फाल्गुन 14, 1931 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार
विधायी अनुभाग--1

संख्या 397 / 79-वि-1--10-1(क)-10-2010
लखनऊ, 05 मार्च, 2010

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य और अधिकारी तथा मंत्री सुख-सुविधा विधि (संशोधन) विधेयक, 2010 पर दिनांक 03 मार्च, 2010 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9 सन् 2010 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य और अधिकारी तथा मंत्री सुख-सुविधा विधि (संशोधन) अधिनियम, 2010

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9 सन् 2010)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) अधिनियम, 1980 और उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) अधिनियम, 1952 तथा उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1981 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

अध्याय-एक

प्रारम्भिक

1- यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य और अधिकारी तथा मंत्री सुख-सुविधा विधि (संशोधन) अधिनियम, 2010 कहा जाएगा। संक्षिप्त नाम

COURT BOOK

अध्याय-दो

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) अधिनियम, 1980 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 1980 की धारा 3 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) अधिनियम, 1980 की, जिसे इस अध्याय में आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 3 में, उपधारा (1) में शब्द ''तीन हजार रुपये'' के स्थान पर शब्द ''आठ हजार रुपये'' रख दिये जायेंगे।

धारा 4 का संशोधन

3-मूल अधिनियम की धारा 4 में शब्द ''पन्द्रह हजार रुपये'' के स्थान पर शब्द ''बाइस हजार रुपये'' रख दिये जायेंगे।

धारा 15-क का संशोधन

4-मूल अधिनियम की धारा 15-क में शब्द ''छः हजार रुपये'' के स्थान पर शब्द ''दस हजार रुपये'' रख दिये जायेंगे।

धारा 18-क का संशोधन

5-मूल अधिनियम की धारा 18-क में खण्ड (क) में शब्द ''छः हजार रुपये'' के स्थान पर शब्द ''दस हजार रुपये'' रख दिये जायेंगे।

धारा 24 का संशोधन

6-मूल अधिनियम की धारा 24 में उपधारा (1) में-

(क) शब्द ''छः हजार रुपये'' के स्थान पर शब्द ''सात हजार रुपये'' रख दिये जायेंगे।

(ख) प्रथम परन्तुक में आये शब्द ''पाँच सौ रुपये'' के स्थान पर शब्द ''सात सौ रुपये'' रख दिये जायेंगे।

धारा 26-क का संशोधन

7-मूल अधिनियम की धारा 26-क के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाएगी:-

''26-क (1) यदि सदस्यता की अवधि के दौरान किसी आसीन सदस्य की पारिवारिक मृत्यु हो जाय तो मृत्यु के समय उनकी जो पेंशन अनुमन्य पेंशन होती हो, उसके 50% के बराबर पारिवारिक पेंशन का ऐसा पति/पत्नी आजीवन हकदार हो जाएगा।

(2) यदि भूतपूर्व सदस्य, जो धारा 24 की उपधारा (1) के अन्तर्गत पेंशन का हकदार हो, की मृत्यु हो जाय, तो मृत्यु के समय उनको मिलने वाली पेंशन के 50% के बराबर पारिवारिक पेंशन का ऐसा पति/पत्नी आजीवन हकदार हो जाएगा:

परन्तु यह कि यदि पति/पत्नी धारा 3 के अन्तर्गत वेतन अथवा धारा 24 की उपधारा (1) के अन्तर्गत किसी पेंशन का हकदार हो, तो वह उपधारा (1) या उपधारा (2) के अन्तर्गत पारिवारिक पेंशन का हकदार नहीं होगा।''

अध्याय-तीन

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) अधिनियम, 1952 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 1952 की धारा 2 का संशोधन

8-उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) अधिनियम, 1952 की, जिसे इस अध्याय में आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में, उपधारा (1) में शब्द ''पाँच हजार रुपये'' के स्थान पर शब्द ''बारह हजार रुपये'' रख दिये जायेंगे।

धारा 4 का संशोधन

9-मूल अधिनियम की धारा 4 में, उपधारा (3) में शब्द ''दस हजार रुपये'' के स्थान पर शब्द ''पन्द्रह हजार रुपये'' रख दिये जायेंगे।

अध्याय-चार

उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1981 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 1981 की धारा 3 का संशोधन

10-उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1981 की धारा 3 में-

(क) उपधारा (1) में शब्द "पाँच हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "बारह हजार रुपये" रख दिये जायेंगे।

(ख) उपधारा (2) में शब्द "चार हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "दस हजार रुपये" रख दिये जायेंगे।

उद्देश्य और कारण

राज्य विधान मण्डल के सदस्यों एवं अधिकारियों तथा मंत्रीगण को अनुमन्य वेतन, भत्तों, पेंशन एवं अन्य सुख-सुविधाओं का बहुत समय से पुनरीक्षण नहीं किया गया है। कीमतों में बढ़ोत्तरी एवं जीवन यापन के मूल्यों में वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए यह विनिश्चय किया गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) अधिनियम, 1952 तथा उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1981 का संशोधन करके राज्य विधान मण्डल के सदस्यों एवं अधिकारियों तथा मंत्रीगण के वेतन भत्ते, पेंशन एवं अन्य सुख-सुविधाओं को पुनरीक्षित किया जाय जिससे वे अपने निर्वाचन क्षेत्र की सेवा सार्थक रूप से कर सकें।

ऐसा अनुभव किया गया है कि राज्य विधान मण्डल के मृत सदस्यों और भूतपूर्व सदस्यों के पति/पत्नी को कठिन परिस्थितियों में जीवन निर्वाह करना पड़ता है। उनके द्वारा धृत पद की गरिमा को दृष्टिगत रखते हुए यह भी विनिश्चय किया गया है कि सन् 1980 के उपर्युक्त अधिनियम में राज्य विधान मण्डल के मृत सदस्यों और भूतपूर्व सदस्यों के पति/पत्नी के लिए पारिवारिक पेंशन का प्रावधान किया जाय।

तद्नुसार उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य और अधिकारी तथा मंत्री सुख-सुविधा विधि (संशोधन) विधेयक, 2010 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
प्रताप वीरेन्द्र कुशवाहा,
सचिव।

No. 397(2)/LXXIX-V-1-10-1(ka)-10-2010

Dated Lucknow, March 05, 2010

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajya Vidhan Mandal Sadasya Aur Adhikari tatha Mantri Sukh-Suvidha Vidhi (Sanshodhan) Adhiniyam, 2010 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 9 of 2010) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the

THE UTTAR PRADESH STATE LEGISLATURE MEMBERS AND OFFICERS AND MINISTERS AMENITIES LAWS (AMENDMENT) ACT, 2010

(U.P. ACT NO. 9 OF 2010)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh State Legislature (Members' Emoluments and Pension) Act, 1980 and the Uttar Pradesh State Legislature (Officers Salaries and Allowances) Act, 1952 and the Uttar Pradesh Ministers (Salaries, Allowances and Miscellaneous Provisions) Act, 1981.

IT IS HEREBY enacted in the Sixty-first Year of Republic of India as follows :-

CHAPTER-I

Preliminary

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh State Legislature Members and Officers and Ministers Amenities Laws (Amendment) Act, 2010.

CHAPTER-II

Amendment of the Uttar Pradesh State Legislature (Members' Emoluments and Pension) Act, 1980

Amendment of section 3 of U.P. Act no. 23 of 1980

2. In section 3 of the Uttar Pradesh State Legislature (Members' Emoluments and Pension) Act, 1980, *hereinafter* referred to in his chapter as the principal Act, in sub-section (1) *for* the words "three thousand rupees" the words "eight thousand rupees" shall be *substituted.*

Amendment of section 4

3. In section 4 of the principal Act *for* the words "fifteen thousand rupees" the words "twenty two thousand rupees" shall be *substituted.*

Amendment of section 15-A

4. In section 15-A of the principal Act *for* the words "six thousand rupees" the words "ten thousand rupees" shall be *substituted.*

Amendment of section 18-A

5. In section 18-A of the principal Act in clause (a) *for* the words "six thousand rupees" the words "ten thousand rupees" shall be *substituted.*

Amendment of section 24

6. In section 24 of the principal Act, in sub-section (1),-

(a) for the words "six thousand rupees" the words "seven thousand rupees" shall be *substituted;*

(b) for the words "five hundred rupees" appearing in the first proviso, the words "seven thousand rupees" shall be *substituted.*

Amendment of section 26-A

7. *For* section 26-A of the principal Act, the following section shall be *substituted:*—

Family Pension

"26-A (1) If a sitting member, dies during the tenure of his or her office, the spouse of such member shall be entitled to a family pension equal to 50% pension otherwise admissible to the deceased member at the time of death, for the life-time of such spouse.

(2) If an *ex*-member, who is entitled to a pension under sub-section (1) of section 24, dies, the spouse of such *ex*-member shall be entitled to a family pension equal to 50% of pension of such ex-member at the time of death, for the life-time of such spouse:

Provided that if the spouse is entitled to a salary under section 3 or a pension under sub-section (1) of section 24 she/he will not be entitled to receive family pension under sub-section (1) or sub-section (2).

CHAPTER-III

Amendment of the Uttar Pradesh State Legislature (Officers' Salaries and Allowances) Act, 1952

8. In section 2 of the Uttar Pradesh State Legislature (Officers Salaries and Allowances) Act, 1952, *hereinafter* referred to in this chapter as the principal Act, in sub-section (1) *for* the words "five thousand rupees" the words "twelve thousand rupees" shall be *substituted*.

Amendment of section 2 of U.P. Act no. 11 of 1952

9. In section 4 of the principal Act, in sub-section (3) *for* the words "ten thousand rupees" the words "fifteen thousand rupees" shall be *substituted*.

Amendment of section 4

CHAPTER-IV

Amendment of the Uttar Pradesh Ministers (Salaries, Allowances and Miscellaneous Provisions) Act, 1981

10. In section 3 of the Uttar Pradesh Ministers (Salaries, Allowances and Miscellaneous Provisions) Act, 1981,–

Amendment of section 3 of U.P. Act no. 14 of 1981

(a) in sub-section (1) *for* the words "five thousand rupees" the words "twelve thousand rupees" shall be *substituted;*

(b) in sub-section (2) *for* the words "four thousand rupees" the words "ten thousand rupees" shall be *substituted*.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The pay, allowances, pension and other amenities admissible to the members and officers of the State Legislature and to the ministers have not been revised for a quite some time. In view of the price rise and escalation in cost of living it has been decided to revise the same so that they may serve the cause of their constituency in a meaningful manner by amending the Uttar Pradesh State Legislature (Members' Emoluments and Pension) Act, 1980, the Uttar Pradesh State Legislature (Officers Salaries and Allowances) Act, 1952 and the Uttar Pradesh Ministers (Salaries, Allowances and Miscellaneous Provisions) Act, 1981.

It has been experienced that the spouses of deceased members and *ex*-members of legislature have been facing hardship and have been living in penury. In difference to the dignity of office which they have held it has also been decided to provide for making, in the aforesaid Act of 1980, provision for family pension to the spouse of the deceased members and *ex*-members of the State Legislature.

The Uttar Pradesh State Legislature Members and Officers and Ministers Amenities Laws (Amendment) Bill, 2010 is introduced accordingly.

By order,
P.V. KUSHWAHA,
Sachiv.

पी0एस0यू0पी0-ए0 पी0-1176 राजपत्र-(हि0)-2010-(2497)-597-(कम्प्यू0-टी/आफसेट)।
पी0एस0यू0पी0-ए0 पी0-237 सा0 विधायी-2010-(2498)-850(कम्प्यू0-टी/आफसेट)।